



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय  
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya  
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)  
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)  
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ खान  
कार्यकारी कुलसचिव  
Kadar Nawaz Khan  
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902  
फैक्स /Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / शोध (वि.यो.) / 311-01 / 2017  
दिनांक : 16.11.2017

सूचना  
अनुस्मारक

विश्वविद्यालयीन शोध परियोजना के अंतर्गत अध्यापकों को शोध कार्य करने के लिए कार्यालय आदेश क्रमांक 03 / शोध (वि.यो.) / 311 / 2014 / 455 दिनांक 11.10.2014 के तहत कुल 12 अध्यापकों को राशि रु 45000 / - तथा क्रमांक 03 / शोध (वि.यो.) / 311-05 / 2016 दिनांक 29.03.2016 के तहत कुल 15 अध्यापकों को 50000 / - स्वीकृत किए गए थे।

उपर्युक्त में शोधरत अध्यापकों में से मात्र 04 अध्यापकों ने अपनी शोध परियोजनाएँ कुलसचिव कार्यालय में जमा की हैं।

जिन्होंने अब तक अपनी शोध परियोजना जमा नहीं की है वे शोध प्रस्ताव स्वीकृति आदेश क्रमांक, वर्ष का उल्लेख करते हुए दिनांक 15.12.2017 तक आवश्यक रूप से अपनी शोध परियोजना कुलसचिव कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़  
(कुलसचिव) 16/11/17

प्रति :  
सभी संबंधित (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. समस्त विभागाध्यक्ष / केंद्र निदेशक (ईमेल द्वारा)
4. अकादमिक संयोजक
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट
6. संबंधित पत्रावली